

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014-15/

दिनांक :

निदेशक  
राज्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र,  
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक  
कृषि, गुण नियंत्रण  
पौध व्याधि राज्य जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला,  
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक  
कृषि (विस्तार), खण्ड  
बीकानेर/भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/  
जयपुर/जालौर/जोधपुर/कोटा/  
सीकर/उदयपुर।

संयुक्त निदेशक  
कृषि (तिलहन),  
भरतपुर।

विषय : निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना निरीक्षण विभाग को भिजवाने बाबत।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 7896-7920 दिनांक 08.02.2018 पत्रांक 8679-8702 दिनांक 05.03.2018 एवं 372-94 दिनांक 09.04.2018

महोदय,

विषयान्तर्गत क्रम में लेख है कि आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों की निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना निरीक्षण विभाग को भिजवाने हेतु निम्नानुसार बकाया चल रही है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	बकाया आक्षेपों की क्रम संख्या	कुल बकाया आक्षेपों की संख्या
1				
2				
3				
4				
5				
6				

इस संबंध में ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 05.10.2017 में प्रमुख शासन सचिव, महोदय द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने को गम्भीरता से लिया गया है, किन्तु अभी तक निदेशक, निरीक्षण विभाग को प्रथम अनुपालना नहीं भिजवायी गयी है, जो खेद जनक है।

अतः उक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना निरीक्षण विभाग को अविलम्ब आवश्यक रूप से भिजवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी सूचित कराने का श्रम करें। विलम्ब की स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जायेगा।

हो.  
(ऋतु गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014-15/

2198-2223

दिनांक : 01.06.18

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
2. उप निदेशक/सहायक निदेशक, कृषि (वि०)/कृषि अनुसंधान अधिकारी .....  
.....को प्रेषित कर लेख है कि भौतिक सत्यापन की बकाया प्रथम अनुपालना अविलम्ब संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि